न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—436/2019 /223(2019/00436)

1. निम्बानाथ पुत्र गुलाबनाथ,
2. घेवरनाथ पुत्र हरदेवनाथ,
3. लालचन्द्र नाथ पुत्र गुलाबनाथ,
4. धर्मानाथ पुत्र हरजीनाथ,
5. उगमीदेवी पत्नि किशननाथ,
6. लालानाथ पुत्र रंगनाथ,
7. हरदेवनाथ पुत्र रंगनाथ,

समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम जोगियों का नाडा, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. लालचन्द पुत्र रामरतन,
2. रामचन्द्र पुत्र रामरतन,
3. नाथू पुत्र रामरतन,
4. काना पुत्र रामरतन,
5. शांतिदेवी पत्नि रामरतन,

जाति नाई, निवासी ग्राम सरगांव, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर ।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिकी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 4.10.2019 अंतर्गत वाद संख्या 47/2018.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रामदेव गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1,5
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 16.09.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 47/2018 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 04.10.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 2 एवं राज्य सरकार के पेश कर कथन किया कि ग्राम उसकी एकल कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग की गैर खातेदारी की आराजी ग्राम जोगियो का नाडा सरगांव, तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 116/7 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी द्वितीय है जिस पर कृषि कार्य कर रहा है एवं काबिज काश्त है । इस आशय से घोषणात्मक एवं गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । दौराने दावा अपीलांटस निम्बानाथ वगैरह द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्त श्री घेवरनाथ जो कि प्रकरण में स्वंय अपीलांटस के द्वारा अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 वास्ते वाद में पक्षकार बतौर प्रतिवादीगण बनाने बाबत् प्रस्तुत किया जिसे बिना किसी आधार के अधी0न्याया0 ने संपूर्ण पत्रावली का विधिवत् रूप से गहन अध्ययन किये बिना ही सरसरी तौर पर अपने आलौच्य निर्णय दिनांक 29.7.2019 के द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष निगरानी याचिका पेश की गई जो विचाराधीन है । इसके विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी रूप से रेस्पो0 संख्या 1 का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.8.2019 द्वारा डिक्री फरमा दिया । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5 एव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 04 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत 96 जा0दी0 पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये बिना गैर कानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक 4.10.2019 को पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधी0न्याया0 ने अविधिक रूप से खारिज कर दिया था जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की जिसके विचाराधीन रहते ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 5 को वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया जो अन्यंत्र वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, मुंतकिल करने पर आमादा है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आने से उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है अन्यथा प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.10.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के गुणावगुण पर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 ने आपसी मिलीभगत करके बिना अपीलांटस को वाद में पक्षकार बनाये अपने पक्ष में दावा डिक्री करवा लिया जो इस तथ्य से साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाबदावा जानबूझकर पेश नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटस उक्त विवादित आराजियात खसरा नम्बर 116/7 रकबा 5 बीघा से संबंधित विभिन्न राजस्व अदालतों में चल रहे मुकदमों में अपीलांटस पक्षकार रहे है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बखूबी थी इसके बावजूद वादीगण ने अपीलांटस को वाद में पक्षकार कायम नहीं कर एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित करवाकर गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त के अधिकार प्राप्त किये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उक्त आराजी चारागाह आराजी है जो कि खसरा नंबर 116/1 में से खसरा नंबर 116/7 बना है जो कुल रकबा 5 बीघा है । वर्तमान में एवं आवंटन के समय भी चारागाह ही दर्ज थी तथा भू–संशोधन के दौरान भी चारागाह दर्ज थी तथा भू–संशोधन के दौरान भी चारागाह भूमि दर्ज थी जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.6.2008 को बेचान को शून्य घोषित करते हुए आवंटन को निरस्त किया है परन्तु फिर भी अविधिक रूप से किये गये आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय भारी त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि उक्त आराजी की मौके पर आज दिनांक तरमीम नहीं हुई है तथा ना ही किसी प्रकार की काश्त रेस्पोडेन्ट/आवंटी द्वारा की जा रही है ना ही आवंटन शर्तो की पालना की गई है । इस महत्वपूर्ण कानूनी विन्दु को नजरअदांज कर वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को अपना मुख्तयारआम नियुक्त कर वादग्रस्त आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.9.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट ने आपसी मिलीभगत कर अधीनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखते हुए अपना वाद डिक्री करवा लिया है तथा अब वे वादग्रस्त आराजी को अन्यंत्र खुर्द बुर्द करने, बेचान करने तथा निर्माण कार्य आदि करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब दिनांक 14.2.2018 को दावा पेश किया गया उस समय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन थी परन्तु इस तथ्य को छिपाते हुए रेस्पो0 ने आपसी दुर्भिसंधी कर अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में निर्णय पारित करवा लिया है जो विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.7.2019 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन थी ऐसी स्थिति में उक्त निगरानी के विचाराधीन रहते कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था । वादग्रस्त आराजी वावत् पूर्व में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2005 में दर्ज फौजदारी प्रकरण संख्या 23/2006 अंतर्गत धारा 447, 147, 323 एस. सी. एस.टी. एक्ट के तहत अजमेर एस.सी. एस.टी. कोर्ट में चला था जिसमें भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा ना होकर भूमि पर किसी प्रकार की

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

काश्त नहीं की जाने की स्पष्ट मौका रिपोर्ट अंकित है परन्तु फिर भी इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । विवादित आराजियात बाबत् संवत् 1930 मिती द्वितीय आषाढ़ बदी बारस में अपीलांटस को पूर्वजों को जागीरदार, किशनगढ़ दरबार द्वारा पट्टा दिया गया था तब से लेकर आज दिनांक तक अपीलांटस व ग्रामवासियो के मवेशी उक्त आराजी पर चरते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में किये गये आवंटन को निरस्त करते हुए वादग्रस्त आराजी को पुनः चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1982 पेज 604, 1982 पेज 497, आर0बी0जे0 1998 पेज 622, आर0एल0डब्ल्यू0 2011 पार्ट–2 पेज 1389 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 2012 पेज 196, आर0बी0जे0 2011 पेज 294, आर0आर0डी0 2019 पेज 595, आर0बी0जे0 2012 पेज 356, आर0बी0जे0 2014 पेज 81 हाई कोर्ट, आर0बी0जे0 1999 पेज 521, आर0बी0जे0 2020 पेज 133 तथा आर0आर0डी0 1989 पेज 203 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं अपील पर बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं भूमिहीन कृषक होने से आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 14.04.1997 को कैम्प सरगांव में ग्राम सरगांव स्थित सिवायचक आराजी खसरा नंबर 116/7 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, तब से लेकर आज दिवस तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। स्वयं अपीलांटस ने उक्त आवंटन को माननीय अपर जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में चुनौती दी जिसे अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने निर्णय दिनांक 5.3.2007 को अपीलांटस व तहसीलदार का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया तत्पश्चात् न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई जो भी खारिज की गई तत्पश्चात् माननीय मण्डल में अपील की गई जो निर्णय दिनांक 22.10.2014 द्वारा खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक नामांतकरण को यथावत् रखा गया है। अपीलांटस ने माननीय मण्डल के निर्णय दिनाक 22.10.2014 की अपील माननीय उच्च न्यायालय एकल पीठ के समक्ष रिट संख्या 4225/2018 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 07.05.2018 को हो चुका है तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.05.2018 के आदेश के विरूद्ध डी.बी. में चुनौती दी जिसका निर्णय भी दिनांक 20.09.2018 को हो चुका है। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी भी प्रकार से कोई सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देने से अंतिम हो चुका है। तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सिविल रिट में पारित आदेश दिनांक 7.5.2018 के क्रम में जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अनुशंषा/अनुमति चाही गई थी जिसमें जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 5.2.2019 राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3.6.2019 को कमेटी का गठन कर "राजस्व ग्रुप–7 विभाग द्वारा कमांक प.3 (30)राज–7/2019 दिनांक 3.6.2019 को एस0बी0 रिट याचिका संख्या 4240/2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर नही करने का विनिश्चयन सक्षम प्रशासनकि स्तर से लिया गया है । अतः निर्णय दिनांक 18.5.2018 की पालना सुनिश्चित कराकर की गई कार्यवाही से अविलम्ब इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।'' इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को निर्देशित किया गया कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश है वह अंतिम है जिसकी किसी प्रकार की अपील नहीं की गयी है । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद पत्र संख्या 47/2018 पेश किया गया था जिसमें अपीलांटस द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर खारिज किया है जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल में पेश की गई जो निगरानी सारहीन होने से एडमिशन स्तर पर ही दिनांक 30.8.2019 को खारिज कर दी गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुसरण करने हेतु जिला कलक्टर, अजमेर को दिनांक 3.6. 2019 को आज्ञा पत्र जारी कर दिया है जिससे पाबंद है । अपीलांटस को किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट को अधिकारों से वंचित करने की मंशा से यह अपील पेश की है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की रिपोर्ट बाबत् तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 19.8.2019 को रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है जिसमें विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त होना अंकित किया है । बहस में आगे कथन किया कि बरवक्त आवंटन विवादित आराजी बारानी द्वितीय है एवं आवंटन आदेश से उपरोक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजियात से अपीलांटस का कोई संबधं नहीं है ना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटस पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् रूप से वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी निरस्त किया जावे तथा अपील को भी मेरिट पर खारिज कर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखी जावें। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने के कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016–17 सप्लीमेंट्री पेज 473 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

7. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अविधिक रूप से खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर में निगरानी याचिका प्रस्तुत की, निगरानी याचिका विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को निर्णित कर दिया।विवादित आराजी से सम्बन्धित प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर व न्यायालय हाजा में पूर्व में अपील प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीगण पक्षकार थे, इस प्रकार प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते है। प्रार्थना–पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देना उचित समझते है। **अतः**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

8 हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया एवम् प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। विवादित आराजी वाकै सरगांव खसरा नम्बर 116/7 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.04.1997 को आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश की चुनौती देते हुए प्रार्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 1970 के नियम 14(4) का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 05.03.2007 को खारिज कर दिया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 1970 के नियम 14(4) के आदेश दिनांक 05.03.2007 की अपील न्यायालय हाजा (राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर) में प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2008 को उक्त अपील को स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति, किशनगढ द्वारा दिनांक 14.07.1997 को किया गया आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसकी अपील मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। मान्नीय मण्डल ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16.06.2008 को निरस्त कर अपर कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 05.03.2018 की पुष्टी की जाकर आवंटी की अपील स्वीकार की गई।उक्त आदेश के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन संख्या 4200/2018 सरकार बनाम सुगना व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2018 द्वारा राज्य सरकार की अपील अस्वीकार कर राजस्व मण्डल राज.अजमेर का आदेश यथावत रखा गया है। उक्त प्रकरण में राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–7 विभाग क्रमांक प3(31) राज.7/2019 जयपुर दिनांक 04.06.2019 द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर को पत्र प्रेषित कर आदेश दिनांक 20.09.2018 के विरूद्ध आगे मान्नीय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ में अपील दायर नहीं करने का विनिश्चय सक्षम प्रशासनिक स्तर से लिया गया है। मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2018 की पालना सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार, किशनगढ़ को आदेशित किया गया। तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा अपनी लिखित बहस तथा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 19.08.2019 में अंकित किया गया है कि उपरोक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कब्जा काश्त है एवं मौके पर ज्वार फसल काश्त की गई है। उक्त मौके रिपोर्ट का कोई खण्डन नही किया गया तथा ना कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा वाद को प्रतिवादी द्वारा जवाब प्राप्त होने के पश्चात तनकीयात कायम कर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किये है, जिसमें किसी प्रकार कि प्रक्रियात्मक त्रुटि व विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा अपील खारिज योग्य पायी जाती है।

9. अतः अपील अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 47/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 को यथावत् रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10.

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर